फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री दिनेश कुमार — **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि. — **पत्रावली संख्या : 88/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 14.05.2022 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा पूर्व में रिपोर्ट पेश की जो शामिल फाईल रहे। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर वादी का नाम संशोधित किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम नरेश पिता देवीलाल गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत खेमली द्वारा जारी सजरा, बैंक पास बुक की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी का नाम दिनेश कुमार पिता देवीलाल अंकित है। तहसीलदार मावली व पटवारी हल्का खेमली की रिपोर्ट में भी नरेश व दिनेश कुमार को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। अतः राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा झंझेला पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 1061 रकबा 0.2266 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1056, 1057, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064 किता 7 रकबा 1.0117 हेक्टेयर भूमि में खातेदार नरेश पिता देवीलाल के बजाय नरेश उर्फ दिनेश कुमार प्रजापत पिता देवीलाल कुम्हार संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(श्रवण सिंह राठौड)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.17 09:45:06 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रवण सिंह राठौड, R.A.S

उनवान

1. श्री दिनेश कुमार प्रजापत पिता देवीलाल कुम्हार निवासी खेमली गांव तह. मावली।

...................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का खेमली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 88/21 (वाद) GCMS No. – 2021/163

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रवण सिंह राठौड, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा झंझेला पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 1061 रकबा 0.2266 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1056, 1057, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064 किता 7 रकबा 1. 0117 हेक्टेयर भूमि में खातेदार नरेश पिता देवीलाल के बजाय नरेश उर्फ दिनेश कुमार प्रजापत पिता देवीलाल कुम्हार संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.05.2022 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.17 09:45:06 IST
Reason: SelfAttested